न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—132 सन् 2024

कांति देवी पुत्री चंदेश्वर राय उर्फ चन्द्रदेव राय वगै0.......................वादीगण।

बनाम

बिनोद कुमार राय वगै0...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 02.08.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 10.01.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के सिड्यिुल नं0 01 की भूमि पर वादी के अन्य फरीकदरानों के साथ बिना मोकम्मिल बंटवारा के इजमालन जोत आबाद होते आ रहा है। प्रतिवादी सं0 01 वो 02 वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी के हक हिस्से की संपत्ति को हड़पने की योजना शुरू से रहते आये। प्रतिवादी सं0 01 वो 02 वादी की संपत्ति को हड़पने की ख्याल से बिना बंटवारे के बैनामा तैयार करा लिए हैं, जिसके आधार पर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते हैं। वादी निषेधाज्ञा का आवेदन दाखिल किया है जिसके लिए विवादित भूमि का वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तु स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 10.01.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री दिलीप कुमार सिंह को नियुक्ति किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।